

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 300]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 9 जुलाई 2013—आषाढ 18, शक 1935

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 9 जुलाई 2013

क्र. 15401-वि.स.-विधान-2013.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 16 सन् 2013) जो विधान सभा में दिनांक 9 जुलाई, 2013 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १६ सन् २०१३

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, २०१३

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

- संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१३ है.
- धारा ६१-च का संशोधन. २. मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ (क्रमांक १ सन् १९९४) की धारा ६१-च में उपधारा (१), (२) और (३) को क्रमशः उपधारा (२), (३) और (४) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए और इस प्रकार पुनर्क्रमांकित उपधारा (२) के पूर्व निम्नलिखित नई उपधारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:—
- परिभाषाएं. “(१) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९०८ (१९०८ का १६) की धारा ६ के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार और उप रजिस्ट्रार, ग्राम पंचायत क्षेत्र में भूखण्डों या भवनों के समस्त अंतरणों या अंतरण के करार के ब्यौरे, प्रत्येक माह की समाप्ति पर, विहित प्राधिकारी को ऐसी रीति में संसूचित करेगा, जैसा कि विहित की जाए.”

उद्देश्यों और कारणों का कथन.

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ (क्रमांक १ सन् १९९४) की धारा ६१-च अवैध व्यपवर्तन या अवैध कालोनी निर्माण की भूमि का प्रबंध विहित प्राधिकारी द्वारा ग्रहण किए जाने से संबंधित है. ग्राम पंचायत क्षेत्र में भूखण्डों या भवनों के समस्त अंतरणों अथवा अन्तरण के करार के ब्यौरे, विहित प्राधिकारी को ऐसी रीति में, जैसे कि विहित की जाए, संसूचित करने के लिए रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को उत्तरदायी बनाया जाना प्रस्तावित है.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
दिनांक : ६ जुलाई, २०१३

गोपाल भार्गव
भारसाधक सदस्य.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, २०१३ के खण्ड २ द्वारा ग्राम पंचायत क्षेत्र में भूखण्डों या भवनों के समस्त अंतरणों या अंतरण के करार के ब्यौरे प्रस्तुत किए जाने की स्थिति एवं प्राधिकारी विहित किये जाने के संबंध में राज्य सरकार नियम बना सकेगी जो सामान्य स्वरूप के होंगे.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.